न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०
फौ०नि०प्रकरण संख्या - 17/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० - 120/2014, थाना-दांगीपुरा

सरकार

अभियोगी...

बनाम

भंवरलाल पुत्र किशोर उम्र 75 वर्ष निवासी आम्बा का पुरा पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज०)

अभियुक्त...

अपराध अन्तर्गत धारा 385, 456 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।
2- श्री कैलाशचन्द वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक-13.11.2024

01. थानाधिकारी पुलिस थाना दांगीपुरा की ओर से जर्ये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 385, 456 का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2015 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परियादिया श्रीमती सुन्दर बाई ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० इस आशय का पेश किया कि दिनांक 20.05.2014 को रात्रि के 12 बजे के लगभग की घटना है। परिवादिया उसके मकान पर उसके बच्चों के साथ सो रही थी। रात्रि के 12-1 बजे के लगभग मुलजिम भंवरलाल मकान में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर परिवादिया की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड कर परिवादिया से कहने लगा कि उसे पांच लाख रूपये दे, वह उसके व्यक्तियों को छुडाकर ले आएगा, रूपये नहीं दे तो उसके साथ बाहर चल। परिवादिया के चिल्लाने पर मौके पर कमलसिंह, पांचीबाई जागे तो मुलजिम वहां से भाग गया, इत्यादि।

03. उक्त परिवाद के आधार पर पुलिस थाना दांगीपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 120/2014, अन्तर्गत धारा 385, 456 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त भंवरलाल के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 385, 456 भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 385, 456 भा०दं०सं० अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी तथा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 385, 456 भां०दं०स के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 चैनसिंह, पी.डब्ल्यू. 02 सुन्दर बाई, पी.डब्ल्यू. 03 दुलीचंद, पी.डब्ल्यू. 04 जगन्नाथ, पी.डब्ल्यू. 05 पन्नालाल, पी.डब्ल्यू. 06 पांचीबाई, पी.डब्ल्यू. 07 शिवचंद, पी.डब्ल्यू. 08 चम्पालाल व पी.डब्ल्यू. 09 बजेसिंह को परीक्षित करवाया गया दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी01 लगायत प्रदर्श पी09 को प्रदर्शित करवाया गया। गवाह सं० 1 व 7 को न्यायालय द्वारा बार बार तलब करने पर भी उपस्थित नहीं आने से उनकी तलबी बंद की गई।

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। स्वयं परिवादिया व महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

> **‘‘1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.05.2014 को रात्रि 12-1 बजे के लगभग, मौजा आम्बा का पुरा थाना दांगीपुरा में सर्यास्त के पश्चात तथा सूर्यादय के पूर्व परिवादिया सुन्दर बाई के रिहायशी मकान में अवैध रूप से प्रवेश करके रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया एवं परिवादिया को उसके व्यक्तियों को छुडाकर बाहर लाने के लिए पांच लाख रूपये परिदत्त करने के लिए उसे क्षति के भय में डालकर उद्यापित किया?**
>
> **2. यदि हां, तो अभियुक्त को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?‘‘**

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं, जिनमें से गवाह सं. 02 सुन्दर बाई प्रकरण की परिवादया है तथा गवाह सं. पी.ड.06 पांचीबाई, पी.ड.04 जगन्नाथ, पी.ड.05 पन्नालाल, पी.ड.07 शिवचंद व पी.ड.08 चम्पालाल को चश्मदीद गवाहों के रूप में परीक्षित करवाया गया है।

12. गवाह पी.ड.02 सुन्दर बाई पक्षद्रोही रही है तथा उसके मुख्य परीक्षण में गवाह ने बताया कि लगभग 6-7 साल पहले की बात है। उसके बेटे राधेश्याम की पत्नी धापूबाई पीहर में फांसी लगाकर मर गई थी। जिस केस में उसका पति कन्हैयालाल, उसका बेटा राधेश्याम व ससुर औंकारलाल तीनों जेल में थे। रात के 12 बजे के लगभग भंवरलाल, जो उसकी बहू धापूबाई का मामा है, दरवाजे पर चढ़कर घर के अन्दर कूद गया और उसने उससे पांच लाख रूपये मांगे। भंवरलाल ने कहा कि वह उसके परिवार वालों को छुडा लाएगा। उसने भंवरलाल से कहा कि उसके पास पांच लाख रूपये नहीं है तो भंवरलाल ने उसके साथ जबरदस्ती की और बच्चों के चिल्लाने पर भाग गया। पांचीबाई मौके पर थी और थौडी देर बाद चैनसिंह आ गया था। इसके अलावा और कोई नहीं आया। इसके अलावा मुलजिम ने उसके साथ और कुछ नहीं किया। वह घटना की रिपोर्ट करवाने थाने पर गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कार्यवाही नहीं की, फिर उसने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था, जो प्रदर्श पी02 है, उसके धारा 164 दं०प्र०सं० के

बयान प्रदर्श पी03 है जिन पर उसकी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी01 है। जिरह द्वारा अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को सही होना बताया कि अभियुक्त ने उससे पांच लाख रूपये मांगे थे वर्ना घर से बाहर चलने की धमकी दी थी। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी04 का ए से बी भाग सुनकर सही होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बताया कि मुलजिम व उसके परिवार वालों के बीच पहले से लडाई झगडा चल रहा था। यह कहना सही है कि मुलजिम दीवार फांदकर घर में घुसा था और यह बात उसने इस्तगासे में लिखवाई थी। यह कहना सही है कि मुलजिम ने उससे पांच लाख रूपये मांगे थे और साथ में बाहर चलने के लिए कहा था, लेकिन उसके बच्चे उठ जाने से मुलजिम वहां से भाग गया था। चैनसिंह घर में थौडी देर बाद आया था। मुलजिम ने पांच लाख रूपये उसके घर वालों को जेल से छुडाने के लिए मांगे थे।

13. गवाह पी.ड.04 जगन्नाथ, पी.ड.05 पन्नालाल, पी.ड.06 पांचीबाई, पी.ड.07 शिवचंद व पी.ड.08 चम्पालाल पक्षद्रोही रहे हैं तथा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं कर रहे हैं।

14. उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.06 पांचीबाई जो कि परिवादिया की पुत्री है जो कि उसके बयानों में बता रही है कि सुन्दर बाई उसकी मां है। लगभग दस साल पहले रात्रि 12-1 बजे की बात है। वह, उसकी मां और उसका छोटे भाई-बहन घर पर थे। उसके पिता जेल में थे। रात्रि के समय भंवरलाल उनके मकान में घुस गया और उसकी मां के साथ गाली गलौच की थी। इसके अलावा और कुछ कहा हो तो उसे याद नहीं है। आवाज सुनकर कमलसिंह आ गया था, जिसे देखकर मुलजिम भाग गया था।

15. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.02 सुन्दर बाई ने उसके धारा 164 दं०प्र०सं० के बयानों में इस्तगासे से बढ़चढ़कर कथन किये हैं तथा अभियुक्त भंवरलाल के साथ चन्द्रया नाम के व्यक्ति द्वारा उसके साथ जबरदस्ती ब्लात्कार करने का कथन किया है। जबकि गवाह ने इस्तगासा प्रदर्श पी01 में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। गवाह ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। गवाह प्रत्येक स्तर पर उसके बयानों से पलट रही है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर न्यायालय को संदेह है। प्रकरण के किसी भी चशमदीद गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा परिवादिया की पुत्री पांचीबाई ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता

है कि परिवादिया ने उसकी बहू धापूबाई के केस में दबाव बनाने के आशय से यह प्रकरण दर्ज करवाया हो। जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

16. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.05.2014 को रात्रि 12-1 बजे के लगभग, मौजा आम्बा का पुरा थाना दांगीपुरा में सर्यास्त के पश्चात तथा सूर्योदय के पूर्व परिवादिया सुन्दर बाई के रिहायशी मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया एवं परिवादिया को उसके व्यक्तियों को जेल से छुडाकर बाहर लाने के लिए पांच लाख रूपये परिदत्त करने के लिए उसे क्षति के भय में डालकर उद्यापित किया हो। अतः अभियुक्त भंवरलाल आरोपित अपराध धारा 385, 456 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

17. अतः अभियुक्त भंवरलाल पुत्र किशोर उम्र 75 वर्ष निवासी आम्बा का पुरा पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज०) को आरोपित अपराध धारा 385, 456 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्त के द्वारा धारा 437(ए) द्र.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- रूपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका 6 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक करवाये जा चुके है कि प्रकरण में उक्त अवधि में अपील/निगरानी होने पर वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होगा। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

19. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहन सोनी)
आशुलिपिक

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।